

निर्णय देर

6/2/20

पञ्जाबली पेश हुई परिवारीगण ने कोदर
12 निष्क. ६. स्त्री. पी. स्त्री. के प्रार्थना पत्र
वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए लिखा
है कि वादग्रहण अमि का अज्ञाननामा के
अनुसार तथा अज्ञाननामि से दर्शाए गये
परिचय व इसके साथ प्रस्तुत साक्ष्य पत्रान के
अनुसार माप करके विभाजन करने एवम्
दोनों खासगी की लक्ष्मी किचे जाने से
कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि अपनी स्वीकृतिकित
करे हैं। तथा वादीगण को वादग्रहण अमि
ख. न. 776/3 रुकबा 21 बीणा व. स. 5.


P.T. 6.

पञ्जाब कलकत्ता, जोरिबा.

३३६/२ रकबा ६.१० बीजा भूमि बेचना करके उरिवाडी स. ६ ने कतजा खुपुई लिखा था। इसके अनुसार दोनों खेतों का कुल भूमि २३.१० बीजा भूमि वाली गणना को खुपुई करके नक्शे में दर्शाकर करवाने के लिए तैयार है।

इस प्रकार से उरिवाडी गण ने वाली का वाद स्वीकार कर लिया है। रसीलिया पादी गण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्ली किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उरिवाडी गण स. ३. ३३८/२, व ३३६/३ कुल रकबा २३.१० बीजा भूमि का मज एक नल्लुप है बेचान नंगों में दर्शाए गए पट्टों व साइट प्लान की आदुला माप करवाकर कतजा खुपुई करे तथा एहलीलदार लिक्ली इन्त खाली की पैमाइश करवाकर नक्शे में दर्शाकर कराने दोनों पक्ष एक-इसके के खाली की भूमि से किसी प्रकार का दखलेंदाजी नहीं करे। इस कदर डिक्ली पन्त जारी किया जावे। पत्रावली प्रेशल शुजा किया जाकर दायिल दफतर हो।



जायक कलकट 

डिकी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी-1)

आज अदालत -सहायक कलेक्टर औसिया ।

मुद्दायलाह -रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 हिम्मतसिंह पुत्र श्री ओमदत्त टांक 2 किरण पत्नी श्री हिम्मतसिंह जाति माली निवासी महाडिया मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर ।		1 धीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री कनीराम जाति माली निवासी पहाडिया बैरा मंगरा पुंजला जोधपुर 2 शातिनी गहलोट पत्नी श्री अनुपम गहलोट 3 अनुपम गहलोट पुत्र श्री अग्रसेन गहलोट जाति माली निवासी महामन्दिर जोधपुर । 4 श्री मान उप पंजीयक महोदय, तिवंरी 5 श्री तहसीलदार तिवंरी

मुकदमा नम्बर 17/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू पक्षकार बहाजरी श्री रामकिशोर ओझा एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी उपस्थित मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम तिवंरी के खसरा नम्बर 776/2 रकबा 06 बीघा 10 बीस्वा व खसरा नम्बर 776/3 रकबा 21 बीघा, कुल रकबा 27 बीघा 10 बीस्वा भूमि की पेमाईश की जाकर तरमीम करके अलग बन्दवारा किया जावे तथा राजस्व नक्शे मे अलग से तरमीम की जावे, दोनो पक्ष एक दूसरे के खसरे की भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे और नही किसी से करावे । डिकी की पालना हेतु तहसीलदार तिवंरी को तहरीर जारी की जावे । वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे, उपरोक्त अनुसार डिकी जारी की जाती है ।

मुवलिग.....बाबतखर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह

.....फिसदी सालाना आज की तारीख वसूलयागी तकको अदा करे ।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 6/7/2020 को जारी की गई

मुदई	रूपये	प्से	मुदायलाह	रूपये	प्से
अर्जी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना यकील खर्चा गवाह फीस कमिश्नर जजराह इजराह हुक्मनामा अन्य			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना यकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराह हुक्मनामा मुदफरीक		
योग			योग		

सब पक्षा खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।



सहायक कलेक्टर औसिया
सहायक कलेक्टर, जोधपुर